न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1227–पीबीआर/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–6–2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 20/94–95/निगरानी.

---

भगवत शरण पुत्र श्री कैलाश
नारायण निवासी बसौड़ी तहसील
भितरवार जिला ग्वालियर

.....आवेदक

विरूद्ध

1 कन्धूराम पुत्र श्री धनीराम
2 भानुप्रताप पुत्र श्री रामस्वरूप
3 राजा भैया पुत्र श्री गंभीर सिंह
निवासीगण ग्राम बसौडी तहसील
भितरवार जिला ग्वालियर

.....अनावेदकगण

---

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस0 पी0 धाकड़ अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 एवं 2

:: आ दे श ::

( पारित दिनांक 11 जून, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 14–6–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार के समक्ष ग्राम बसौडी स्थित भूमि सर्वे कमांक 345/2, 319 एवं 321/1 रकबा 0.449 हेक्टेयर भूमि के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 10–3–1989 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि के व्यवस्थापन का आदेश दिया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 एवं 3 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 1–6–1993 को तहसीलदार को निर्देश दिये गये कि विवादित भूमि सार्वजनिक निस्तार की है या नहीं इस तथ्य की जांच करते हुये गुणदोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर को प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 11–10–1994 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर करने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 14–6–2001 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार को प्रश्नाधीन भूमि की जांच के आदेश दिये गये है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में अनुचित कार्यवाही की गई है, इसलिये उनके आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि निस्तार की भूमि है, जिसका व्यवस्थापन करने में तहसीलदार द्वारा अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि म0 प्र0 दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत दखल रहित भूमि का व्यवस्थापन किया जा सकता है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि दखल रहित भूमि नहीं होकर आम रास्ता अभिलेख में दर्ज है एवं ग्राम पंचायत द्वारा भी आम रास्ता होने संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 एवं 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 1979 में तहसीलदार द्वारा विधिवत ग्राम पंचायत का अभिमत लिया जाकर आपत्तियां आमत्रिंत कर साक्ष्य आदि लेकर अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन किया गया है, जो कि पूर्णतः विधिसंगत है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का 2–10–1984 के पूर्व से कब्जा है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 1–6–1993 को प्रस्तुत की गई है और उसी दिनांक को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित कर दिया गया है । अतः संपूर्ण कार्यवाही एक दिन में किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई और अपर कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि निस्तार की भूमि बताना मनगढंत बात है ।

5/ अनावेदक कमांक 3 के वारिसानों के सूचना होने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से उन्हें अभिलेख पर नहीं लिया गया है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 1–6–1993 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 1–6–1993 को आदेश में अपील दायर किये जाने का उल्लेख करते हुये अंतिम आदेश पारित किया गया है । इससे यह स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा एक ही दिन में प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित किया गया है । उनके द्वारा न तो अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख बुलाया गया है और न ही अनावेदक कमांक 1 को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिया गया है । ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी को यह निर्देश देने में कि अपील प्रकरण में उभयपक्ष को सुना जाकर अपील के बिन्दुओं का निराकरण करें, पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही है और अपर कलेक्टर के वैधानिक आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14–6–2001 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

( स्वदीप सिंह )
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर